संख्या: 69/2020/1677/छप्पन-2020-115/1989 T.C.

प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 15 अक्टूबर, 2020

विषय: रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत चयनित म्योरपुर (सोनभद्र) हवाई पट्टी को नो-फ्रिल्स एयरपोर्ट के रूप में विकसित किये जाने हेतु आवश्यक वन भूमि प्राप्त करने तथा ओ0एल0एस0 सर्वे के अनुसार अवरोध हटाए जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, नागरिक उड्डयन के पत्र संख्याः 260/आर०सी०एस०-2020-एम-3/2018 दिनांक 16 सितम्बर, 2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत चयनित म्योरपुर (सोनभद्र) हवाईपट्टी को नो-फ्रिल्स एयरपोर्ट के रूप में विकसित किये जाने हेतु आवश्यक वन भूमि प्राप्त करने तथा ओ0एल0एस0 सर्वे के अनुसार अवरोध हटाए जाने हेतु निम्नविवरण अनुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है:-

क्र. सं.	**कार्य का विवरण**	**विभाग, जिसे भुगतान किया जाना है**	**धनराशि (रु0)**
1.	काश्तकारों की भूमि में स्थित 202 वृक्षों का पातन	प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट	1,58,900/-
	नागरिक उड्डयन विभाग की भूमि पर स्थित 275 वृक्षों का पातन	प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग रेनुकूट	2,00,875/-
2.	एल0टी एवं एच0टी0 लाइनों का विस्थापन	अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, पिपरी, सोनभद्र	4,01,899/-
3.	3.6207 हे0 वन भूमि प्राप्त किये जाने से संबंधित 255 वृक्षों का पातन	प्रभागीय लौंगिंग प्रबन्धक, उ0प्र0 वन निगम, सोनभद्र	6,20,881/-
कुल धनराशि			**रू0 13,82,555/-**

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत चयनित म्योरपुर (सोनभद्र) हवाईपट्टी को नो-फ्रिल्स एयरपोर्ट के रूप में विकसित किये जाने हेतु आवश्यक वन भूमि प्राप्त करने तथा ओ0एल0एस0 सर्वे के अनुसार अवरोध हटाए जाने

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

हेतु रू0 13,82,555/- (रूपया तेरह लाख बयासी हजार पॉच सौ पचपन मात्र) पर प्रशासकीय अनुमोदन तथा वित्तीय स्वीकृति के साथ चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस परियोजना पर रू0 13,82,555/- (रूपया तेरह लाख बयासी हजार पॉच सौ पचपन मात्र) के व्यय की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

I. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24 मार्च, 2020 एवं 18 मई, 2020 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

II. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/ स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है।

III. जिलाधिकारी, सोनभद्र और निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जनरल मैनेजर, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार चिन्हित अवरोधों को दूर करने/ हटाए जाने हेतु कार्ययोजना के अनुसार ही कार्य किया जाए |

IV. परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/ कास्ट ओवर रन न हो | अतः इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर- 212(vii) में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा |

V. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा |

VI. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जाएगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/ बैंक खाते आदि में नहीं रखा जाएगा।

VII. उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय से संबंधित पक्षों द्वारा वित्तीय नियमों/ आदेशों/प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

VIII. उक्त स्वीकृत धनराशि का आाहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा।

IX. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही हे।

X. आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि को आवंटित कर तत्काल जिलाधिकारी, सोनभद्र के निर्वतन पर रखा जायेगा और यथा आवश्यकता समय-समय पर सम्बन्धित पक्षों को नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

4- कृपया रिपोर्ट के अनुसार चिन्हित अवरोधों को दूर करने/ हटाए जाने हेतु अपेक्षित अग्रेतर कार्यवाही जिलाधिकारी, **सोनभद्र** से शीघ्रतापूर्वक सम्पन्न कराने का कष्ट करें ताकि विषयांकित कार्य समयबद्ध रूप से सम्पन्न कराया जा सके।

5- जिलाधिकारी, **सोनभद्र** द्वारा उपर्युक्तानुसार कार्यवाही करने के पश्चात् निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ को यथासमय सूचित किया जाएगा तथा निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ शासन को इस सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध करायेंगे |

6- उपर्युक्त पर होने वाला अनुदान संख्या- 38 चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के राजस्व लेखा-लेखाशीर्ष "3053-नागर विमानन-01-हवाई सेवाएँ-800-अन्य व्यय-03-उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति, 2017 तथा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0- ई-7- 1004/दस-2020 दिनांक 14 अक्टूबर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
उप सचिव

संख्याः 69/2020/1677(1)/छप्पन-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

(2) उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

(3) मण्डलायुक्त, **मिर्जापुर** ।

(4) जिलाधिकारी, **सोनभद्र** ।

(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, **सोनभद्र** ।

(6) निदेशक, भूमि अध्याप्ति, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।

(7) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4/राजस्व अनुभाग-13

(8) निजी सचिव, मा0 नागरिक उड्डयन मंत्री, उत्तर प्रदेश ।

(9) समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सुरेन्द्र कुमार
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।